No. A-15018/1/O.O/2023-Ad.I
भारत सरकार / Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
Directorate of Coordination Police Wireless

खण्ड सं-9, के॰ स॰ का॰ परिसर/Block No. -9, C.G.O. Complex,
लोधी रोड, नई दिल्ली/Lodhi Road, New Delhi-3
दिनांक/ Dated: 19 मार्च, 2025

कार्यालय आदेश /OFFICE ORDER

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति तथा राजभाषा नीति के अनुपालन के संबंध में, अधिनियम तथा नियमों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को रोकने के लिए सभी केंद्रों व अनुभागों द्वारा जाँच बिंदुओं की स्थापना करना अपेक्षित है।

निम्न उल्लेखित जाँच बिंदुओं के अंतर्गत, इस कार्यालय हेतु उक्त कार्यों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया जाता है :-

क्र. सं.	संबंधित कार्य/ जाँच बिन्दु	संबंधित अधिकारी
1.	समस्त हिन्दी पत्राचार, हिन्दी पद, हिन्दी टिप्पण व अन्य कार्यों की निगरानी।	सभी अनुभाग प्रभारी।
2.	सभी स्टेशनरी फार्मों, रजिस्टरों, फाइलों तथा फ़ोल्डरों आदि का द्विभाषिक मुद्रण।	प्रशासन अनुभाग प्रभारी
3.	द्विभाषिक सुविधा वाले कंप्युटरों/ उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड आदि की खरीद।	संबंधित अनुभाग प्रभारी व आईटी अनुभाग प्रभारी
4.	क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों को सभी पत्र हिन्दी/ द्विभाषी भेजना।	सभी अनुभाग प्रभारी
5.	सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, रबर की मोहरें, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, बैनर आदि द्विभाषी रूप में बनाना।	संबंधित अनुभाग प्रभारी व प्रशासन अनुभाग प्रभारी
6.	हिन्दी में प्राप्त तथा हिन्दी में हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में देना।	हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी
7.	सभी सेवा-पंजियों एवं सेवा रिकार्ड में प्रविष्टियाँ हिन्दी में करना।	प्रशासन अनुभाग प्रभारी
8.	पुस्तकालय हेतु हिन्दी पुस्तकों की खरीद।	राजभाषा अनुभाग
9.	हिन्दी टंकण/ हिन्दी भाषा प्रशिक्षण से संबंध मामले।	प्रशासन/राजभाषा अनुभाग प्रभारी
10.	सभी प्रकार की प्रशिक्षण सामग्री/ प्रकाशन सामग्री का द्विभाषी प्रकाशन सुनिश्चित करना।	प्रशासन अनुभाग प्रभारी

11.	अधीनस्थ कार्यालयों/ अनुभागों का राजभाषा निरीक्षण करना।	केंद्रों के दौरा कार्यक्रम पर जाने वाले समस्त अधिकारीगण
12.	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें/ तिमाही प्रगति रिपोर्ट का प्रेषण।	राजभाषा अनुभाग
13.	हिन्दी कार्यशालाओं व हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन करवाना।	राजभाषा अनुभाग

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

19.3.25

(महेश कुमार पचार)
संयुक्त सहायक निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक के प्रधान निजी सचिव
2. अपर निदेशक (मुख्यालय) के निजी सहायक/ अपर निदेशक (संचालन) के निजी सहायक
3. संयुक्त निदेशक(प्रशा.) / संयुक्त निदेशक (राजभाषा)।
4. सहायक निदेशक(सूचना प्रौद्योगिकी): निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सभी संबन्धित आधिकारी/कर्मचारी।
6. राजभाषा अनुभाग की नेमी टिप्पणी संख्या ए. 20011/सामान्य/09 (क)- हिन्दी, दिनांक 10.03.2025, के संबंध में।
7. सेवा पुस्तिका / निजी फाइल।
8. कार्यालय आदेश फ़ाइल।